

शुभिका देवी य अमानाथ रिहें का  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

२०/११/१८ हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०

शुभिका देवी य अमानाथ रिहें का  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम  
 दिनांक १६/११/१८ को  
 मय हो।

१६/११/१८  
 हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०  
 २०/२/१८ को (१८) मय

२०/२/१८  
 हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०  
 १३/३/१८ को (१८) मय

१३/३/१८ हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०  
 ०५/४/१८ को (१८) मय

०५/४/१८ हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०  
 १०/३/१८ को (१८) मय

३/५/१८

न्यायालय को प्रस्तुत किये गए प्रकरण लोक  
 अदालत के माध्यम से सुनवाई योग्य होने पर  
 पत्रावली लोक अदालत के माध्यम से  
 दिनांक १०/५/१८ को मय हो।

१८/५/१८

पक्षक वरान उपस्थित/व्यक्तिगत प्रकरण को (अप्रति)  
 उपस्थित/अप्रति को नमस्कार  
 को मय हो। प्रकरण को सुनवाई योग्य होने पर  
 मय हो। प्रकरण को सुनवाई योग्य होने पर  
 दिनांक १८/५/१८ को मय हो।

१८/५/१८ पत्रावली के माध्यम से कोर्ट में पत्रावली का प्रेषण करने  
 का हकिमी लिखा जा चुका है। इसीलिए प्र. १८ को सुनवाई  
 किया जाता है। प्रकरण को सुनवाई योग्य होने पर  
 मय हो। प्रकरण को सुनवाई योग्य होने पर

जय श्री गणेशाय नमः